


(99) (146)

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर § म०प्र० §

R 1780-II/07

निगरानी प्रकरण क्रमांक- /07-08



मुन्नीलाल तनय भोला कुशवाहा निवासी ग्राम इचौल तहसील उधेहरा जिला
सतना § म. प्र. §

निगरानी कर्ता/रेस्प

व नाम

राममिलन तनय श्यामसुन्दर कुशवाहा नावालिग द्वारा क्ली सरपरस्त -
श्यामसुन्दर तनय भोला कुशवाहा निवासी साकिन इचौल हाल मुकाम -
टिकुरिया टोला तहसील उधेहरा जिला सतना म. प्र. - गैरनिगरानीकर्ता/अपी

निगरानी विरुद्ध अपर आयुक्त महोदय, रोवा
संभाग रोवा म. प्र. द्वारा प्र. क्र. 325/अपील
04-05 में पारित आदेश दिनांक 3. 10. 07
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू रा. सं.
सन् 1959 ईसवी.

Handwritten notes:
श्री अजय पाठे
द्वारा दिनांक 22-10-07 पर
काम - रोवा
3005/07
22-10-07

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-

1-यहकि निगरानी कर्ता एवं रेस्पानो राममिलन के पिता श्यामसुन्दर कुशवाहा
दोनों सगे भाई हैं, तथा दोनों भोला कुशवाहा के पुत्र हैं। दोनों की भूमियां -
ग्राम इचौर, तहसील उधेहरा जिला सतना म. प्र. में स्थित हैं। भूमि क्रमांक-
343 रकबा . 230 हे० एवं भूमि नं. 536/2 रकबा . 397 हे० व उभय
पक्ष की पुस्तैनी भूमि है, उक्त भूमियां शोला प्रसाद की भूमियां की, पिता
भोला प्रसाद अपने दोनों पुत्रों के साथ बारी-बारी से रहते थे। दोनों पुत्रों
द्वारा पिता को सेवा-सहाई की जाती थी, तथा पिता के मृत्यु के बाद
दोनों भाइयों द्वारा अर्थात् भोला प्रसादके दोनों पुत्रों द्वारा संयुक्त रूपसे
पिता का अंतिम संस्कार व क्रिया कर्म किया गया। पिताभोला प्रसाद द्वारा


Handwritten mark: W

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.1780-II/07

जिला-सतना

मुन्नीलाल कुशवाहा/राममिलन कुशवाहा

(1)	(2)	(3)
16.05.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	